

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय
सं०५, रामपुर।

सत्र परीक्षण सं० ३८/२०१७

राज्य बनाम गुरजीत सिंह उर्फ जीता व अन्य
थाना बिलासपुर, जिला रामपुर।
मु०अ०सं०-६८७/२०१६

जजेज नोट

अपराध का दिनांक व समय २५-१०-२०१६ को समय १७-४० बजे
से पूर्व विभिन्न दिनांक व समय
धारा- ३(१)गैंगस्टर एक्ट,
थाना - बिलासपुर, जिला रामपुर
अधिवक्ता राज्य श्री एस.एच.आर. सिद्धीकी,
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी,
अधिवक्ता अभियुक्तगण श्री देवेन्द्र कुमार दिवाकर, एडवोकेट,

अभियुक्तगण के न्यायालय में उपस्थित आने पर विद्वान वरिष्ठ
अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन कथानक का उल्लेख किया गया तथा उन
साक्ष्यों का वर्णन किया, जिसके आधार पर वह अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप
विरचित करने की प्रस्तावना करते हैं।

आरोप विरचित करने के प्रश्न पर मैंने न्यायालय में उपस्थित
अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

उभय पक्षों को सुनने व प्रपत्रों का अवलोकन करने के उपरान्त मेरे
द्वारा यह अवधारित कराने का पर्याप्त आधार पाया गया कि अभियुक्तगण १-गुरजीत
सिंह उर्फ जीता २-फूलचन्द, ३- योगेन्द्र पाल उर्फ भोला, ४- भीम, ५- बट्टू उर्फ
दिलावर ने धारा ३(१) उ०प्र०गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण
अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत प्रथमदृष्टया दण्डनीय अपराध किया है, जो इस
न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः अभियुक्तगण के विरुद्ध तदनुसार आरोप विरचित
किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक २७-०३-२०१८
को पेश हो। नियत तिथि के लिए अभियोजन साक्षीगण को तलब किया जाये।

दिनांक: १३-०३-२०१८
(प्रतिभा सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)
न्यायालय सं०५, रामपुर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय
सं०५, रामपुर।

विशेष सत्र परीक्षण सं०--- ३८/२०१७

राज्य बनाम गुरजीत सिंह उर्फ जीता व अन्य
धारा ३(१) गैंगस्टर एक्ट
थाना बिलासपुर, जिला रामपुर।
मु०अ०सं०-६८७/२०१६

आरोप

मैं, प्रतिभा सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(गैंगस्टर एक्ट) न्यायालय सं०५, रामपुर आप- १-गुरजीत सिंह उर्फ जीता
२-फूलचन्द, ३- योगेन्द्र पाल उर्फ भोला, ४- भीम, ५- बडू उर्फ दिलावर,
को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ-

यह कि दिनांक २५-१०-२०१६ को समय १७-४० बजे से पूर्व
विभिन्न दिनांक, समय व स्थान पर आप लोगों ने गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक
लाभ कमाने एवं समाज में भय व आतंक फैलाने के लिये (१)मु०अ०सं०
४१४/२०१६ धारा १४७,१४८,१४९,५०४,३०२,३२३ भा०दं०सं० एवं
३(२)५ एस०सी०/एस०टी०एक्ट थाना बिलासपुर, जिला रामपुर, (२)मु०अ०सं०
४४६/२०१६ धारा २५ आयुध अधिनियम थाना बिलासपुर, जिला रामपुर, (३)
मु०अ०सं० ४४५/२०१६ धारा २५ आयुध अधिनियम थाना बिलासपुर, जिला
रामपुर (४) मु०अ०सं० ४४४/२०१६ धारा ४/२५ आयुध अधिनियम थाना
बिलासपुर, जिला रामपुर, (५) मु०अ०सं० ४१८/२०१६ धारा २५ आयुध
अधिनियम थाना बिलासपुर, जिला रामपुर से सम्बन्धित एकल/सामूहिक रूप से
अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने धारा- ३(१) उत्तरप्रदेश गिरोहबन्द
एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम १९८६ के अन्तर्गत दण्डनीय
अपराध किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप में
आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक:- १३-०३-२०१८

{ प्रतिभा सक्सेना }
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट),
न्यायालय सं०५, रामपुर

अभियुक्तगण को उक्त आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया,
अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया एवं परीक्षण की मांग की।

दिनांक:- १३-०३-२०१८

{ प्रतिभा सक्सेना }
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट),
न्यायालय सं०५, रामपुर